

विद्यालय शिक्षा विभाग

गोरखपुर।

प्रसंगिक

विद्यालय शिक्षा विभाग, गोरखपुर, पौली, गौरा, प्रसा, ...

क्रमांक / शि.0 / 2000-2001 दिनांक - 21/7/2000
विषय :- अशासकीय उच्च प्रथमिक विद्यालय कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

भवदीय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या/217/15-6-92-18 पस दिनांक 15-11-92 एवं संशोधित राजाज्ञा सं० 217/15-6-92/6-पस/89 दिनांक 3-8-97 संशोधित राजाज्ञा सं०/2681/15-6-95-18 पस दिनांक 18 जनवरी 98 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जनपदीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय व कक्षा 6 से 8 तक बालक विद्यालय की अस्थायी मान्यता इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से इतर विभाग से अनुमति प्राप्त कर लिये जायेगी। अस्थापक विद्यालयों के स्थान पर दो माह के अस्थापक विद्यालयों के नियुक्ति नियमानुसार की जाय। इस प्रकार विद्यालय में कुल तीन अनुभाग अनुमन्य होगा। अतिरिक्त अनुभागों की अनुमति तथा कक्षा संचालन हेतु पृथक से नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

शासनादेश में निहित मानक के अनुसार आप विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षक/कर्मचारी अनुमन्य होंगे:-

1.	प्रधानाध्यापक	-	एक	सूत्र योजनान्तर्गत स०अ० संस्कृत का पद
2.	सहायक अध्यापक	-	चार	त्रिभाषा सम्मिलित है
3.	लिपिक	-	एक	
4.	अनुचर	-	एक	

कुल सात पद अनुमन्य
इस प्रकार विद्यालय में कुल जनशक्ति सात की अनुमन्य होगी। जनशक्ति में त्रिभाषा/ प्रसार/ क्राफ्ट अध्यापक जैसा आवेदन किया गया हो सम्मिलित होने जायेगा। त्रिभाषा के लिये अलग से पद राजन की आवश्यकता होगी।

शासकीय/ विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित समिति को होगा।

भवदीय,

अमर नाथ राय
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर।

पृष्ठांकन संख्या/ शि.0

/ 2000-2001

दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर शिक्षा निदेशक (बे.श.) शिक्षा निदेशालय, उ०प्र
2. सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, झांझाबाद
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
4. शिक्षा समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
5. उप-बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

Principal
Central Public Academy
Senior Sec.
Affiliated to C.B.S.E.
New Delhi
Nai Bazar Road, Bhaupur
Chauri Chaura, Gorakhpur

अमर नाथ राय
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी